साहित्य संहिता
Available at http://www.sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

भारतीय प्रेस का इतिहास

हरि स्वरूप
एम. ए. एवं नेट (इतिहास)
Reg. No 95-NGR-408
M.D.U., Rohtak (Haryana)

शोध–आलेख सारः समाचार–पत्र तथा पत्रिकाएँ आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। विश्व में हो रही प्रत्येक छोटी–बड़ी घटना की जानकारी हम इन समाचार–पत्रों से प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान युग में इलैक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बावजूद ये पत्र तथा पत्रिकाएँ अपना वजूद बनाए हुए हैं। इन समाचार–पत्रों के माध्यम से हमें सरकार की नीतियों की जानकारी मिलती है तथा सरकार भी जनमत की इच्छा जानने के लिए प्रेस का सहारा लेती है। भारतीय प्रेस का इतिहास बड़ा उतार–चढ़ाव भरा रहा है।

मूलशब्दः समाचार पत्र, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, भारतीय प्रेस, ईस्ट इंडिया कम्पनी।

भूमिकाः भारत में आधुनिक प्रेस की शुरूआत यूरोपीयन जातियों के आगमन से होती है। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने मुद्रणालय की स्थापना की व ईसाई पादरियों ने 1557 ई. में गोवा में प्रथम पुस्तक छापी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 1684 ई. में बम्बई में एक छापेखाने की स्थापना की। परन्तु कम्पनी में भारत ने अपने दुष्कृत्यों की खबर इंग्लैण्ड पहुँच जाने के डर से आगामी लगभग एक शताब्दी तक कोई समाचार पत्र नहीं निकाला। जब विलियम बोल्ट्स जैसे असन्तुष्ट कर्मचारी ने कम्पनी विरोधी कोई समाचार–पत्र निकालना चाहा तो कम्पनी के अधिकारियों ने तीव्र गति से कार्य करते हुए उसके प्रयास को विफल कर दिया। भारत में प्रथम समाचार–पत्र प्रकाशन का सौभाग्य जेम्स ऑगस्टस हिक्की को प्राप्त हुआ जब 1780 ई. में उसने 'बंगाल गजट' को प्रकाशित किया। परन्तु मुख्य न्यायाधीश तथा कम्पनी के अधिकारियों के कार्यो की आलोचना करने के कारण शीघ्र ही बंगाल गजट का प्रकाशन बन्द करवा दिया गया।

साहित्य संहिता
Available at http://www.sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

बाद में कई अन्य समाचार–पत्रों का प्रकाशन आरम्भ हुआ। इनमें 1784 ई. में 'कलकत्ता गजट', 1785 ई. में 'ओरियेन्टल मैंगजीन ऑफ कलकत्ता', 1786 ई. में 'कलकत्ता क्रॉनिकल', 1788 ई. में 'मद्रास कैरियर', 1789 ई. में 'मद्रास हेराल्ड' आदि प्रमुख थे। इन समाचार–पत्रों ने 'बंगाल गजट' के साथ जो हुआ, उसको सम्मुख रखते हुए आपसी सहयोग से कार्य किया। इन समाचार पत्रों ने कम्पनी या उसके अधिकारियों के कार्यों की आलोचना से अपने को पृथक रखा। इनमें कोई पारस्परिक स्पर्धा न थी व एक ही स्थान से अलग–अलग दिन प्रकाशित कर दिए जाते थे। अधिकांशतः इनका वितरण अंग्रेजों या ऐंग्लो–इण्डियनों तक ही सीमित था।[1]

वैलेजली के काल में फ्रांसीसी हमले का खतरा उत्पन्न हुआ। अतः 1799 ई. में समाचार पत्रों को कम्पनी के शासन की दुर्बलताओं को प्रकट करने वाली खबरों को छापने से रोकने हेतु सेन्सरशिप अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम द्वारा पत्र के सम्पादक, स्वामी व मुद्रक का नाम छापना अनिवार्य कर दिया व छापने से पूर्व सारी सामग्री को सरकार के सचिव को दिखाना आवश्यक था। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए देश निकाले के दण्ड का प्रावधान था। बाद में इस अधिनियम का विस्तार करते हुए 1807 ई. में पुस्तकों, पत्रिकाओं, पोस्टरों आदि को भी इसमें शामिल कर दिया गया। लार्ड हेस्टिंगस के समय 1818 ई. में इसे समाप्त कर दिया गया।

कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने 19वीं सदी के आरम्भ में अपने समाचार–पत्र निकालने शुरू किए। ऐसा प्रथम प्रयास गंगाधर भट्टाचार्य ने किया। उन्होंनें 1816 ई. में 'बंगाल गजट' नामक अंग्रेजी साप्ताहिक निकाला। 1818 ई. में मार्शमैन ने सेरामपुर से 'दिग्दर्शन' नामक मासिक पत्रिका व 'समाचार दर्पण' नामक साप्ताहिक का बंगाली भाषा में प्रकाशन किया। भारतीयों में राजा राममोहन का योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने फारसी में 'मिरात–उल–अखबार' व 'ब्रहम्निकल मैगजीन' नामक अंग्रेजी पत्रिका को शुरू किया। 1822 ई. में 'दैनिक बम्बई समाचार' नामक गुजराती भाषी पत्र

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

का प्रकाशन बम्बई से आरम्भ हुआ। बम्बई से ही 'जामे जमशेद' व 1851 ई. में 'रस्त गोफतार' का प्रकाशन गुजराती में किया गया।

जहाँ तक पत्रकारिता की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता की बात है तो इसके जन्मदाता जे.एस बर्किंघम थे। 1818 ई. में इनके द्वारा प्रकाशित 'कलकत्ता जरनल' में जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित किया तथा प्रेस को स्वतन्त्र व निष्पक्ष बनाया गया। उन्होंने ही प्रेस को वह रूप दिया जिसमें आज हम उसको देखते है। उन्होंने प्रेस को आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने, जाँच–पड़ताल करके समाचार देने तथा नेतृत्व करने की ओर प्रवृत्त किया।[2]

1823 ई. में जॉन एडम्स ने समाचार–पत्रों को नियन्त्रित करने के लिए अनुज्ञप्ति नियम जारी किए। इनके अनुसार बिना सरकारी अनुमति के प्रकाशित समाचार–पत्र की प्रेस को जब्त करने के साथ चार सौ रूपए के आर्थिक दण्ड का प्रावधान था। गर्वनर जनरल को भी यह शक्ति दी कि वह किसी भी पत्र के लाइसेंस को समाप्त कर दे। इन नियमों के अधीन 'मिरात–उल–अखबार' को बन्द कर दिया गया।

बैंटिक व चार्ल्स मेटकाफ का भारतीय प्रेस के प्रति उदार दृष्टिकोण था। चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय समाचार–पत्रों को पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कर दिया व भारतीय समाचार–पत्रों के 'मुक्ति–दाता' कहलाए। मैकाले का नजरिया भी उदार था। उन्होंने समाचार–पत्रों की स्वतन्त्रता के पक्ष में तर्क दिया कि सरकार के पास देश में खतरे के समय अनन्त और निःसन्देह शक्ति है तो फिर शान्ति काल में ऐसे नियमों को बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।[3] 1857 में विद्रोह के परिणामस्वरूप समाचार–पत्रों के प्रति ओपनिवेशिक सरकार के दृष्टिकोण में फिर बदलाव आया व लाइसेंस लेना फिर से अनिवार्य कर दिया। जिसे कभी भी रद्द किया जा सकता था। इस एक्ट की अवधि एक वर्ष थी। अतः इस व्यवस्था को स्थाई रूप देने हेतु 1867 ई. में पंजीकरण अधिनियम संख्या 25 द्वारा मैटकाफ के अधिनियम को परिवर्तित कर दिया गया। इसका उद्देश्य समाचार–पत्रों अथवा मुद्रणालयों पर रोक लगाना नहीं

साहित्य संहिता
Available at http://www.sahityasamhita.org/
ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

था, अपितु नियमित करना था। प्रत्येक मुद्रित पुस्तक तथा समाचार–पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक और मुद्रण स्थान का नाम होना आवश्यक था। यह अधिनियम 1890, 1914, 1952 और पुनः 1953 में संशोधित किया गया।[4] 1870 ई. में सरकार ने प्रेस सम्बन्धि नियमों को कुछ और कठोर किया और उनको 'इण्डियन पीनल कोड' में सम्मिलित कर लिया। इसी समय सरकार का समर्थन करने हेतु अंग्रेजों द्वारा कुछ समाचार पत्र आरम्भ किए गए। इनमें 1861 ई. में बम्बई से 'टाइम्स ऑफ इण्डिया', 1865 ई. में इलाहाबाद से 'पायनियर', 1868 ई. में मद्रास से 'मद्रास मेल' और 1875 ई. में कलकत्ता से 'स्टेट्समैन' आरम्भ किए गए थे।[5]

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले समचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई। इनमें 'हिन्दू पैट्रियाट', 'अमृतबाजार पत्रिका', 'बंगवासी', 'संजीवनी', 'शोमप्रकाश', 'हिन्दू', 'ट्रिब्यून', 'नेटिव ओपिनियन', 'इण्डियन हेराल्ड', 'दिनबन्धु' आदि प्रमुख थे। इन समाचार–पत्रों ने ओपनिवेशिक गुलामी के दुषप्रभावों तथा ब्रिटिश शासन के दुष्कर्त्यो से भारतीय जनता को परिचित कराया तथा जनमत को प्रभावित यिका। जब 1876–78 ई. में एक तरफ तो अकाल से लाखों लोग मारे गए वहीं दूसरी ओर लिटन ने 1877 ई. में दिल्ली दरबार का आयोजन कर धन का अत्यधिक अपव्यय किया तो भारतीय समाचार–पत्रों ने इसके विरूद्ध खुलकर लिखा। अतः 1878 ई. के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार–पत्रों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया। इस कानून द्वारा प्रत्येक मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी समाचार–पत्र के प्रकाशक से एक निश्चित धनराशी सुरक्षा–धनरशि के रूप में जमा करा सकता था और यदि कोई समाचार पत्र ऐसा समाचार छापता, जिससे अशान्ति की सम्भावना होती या सरकार को हानि होती तो वह उसकी जमा की हुई धनराशि को जब्त कर सकता था। इसके विरूद्ध कहीं पर भी अपील नहीं की जा सकती थी। इस कानून की सबसे बुरी बात यह थी कि अंग्रेजी समाचार–पत्रों को इससे मुक्त रखा गया।[6] इस अधिनियम के अधीन 'सोमप्रकाश', 'भारत मिहिर', 'ढाका प्रकाश', 'सहचर' तथा अनेक अन्य समाचार–पत्रों के विरूद्ध मामले दर्ज किए गए।

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

इसके बाद भारतीय समाचार–पत्रों की भाषा तथा प्रवृत्ति दोनों बहुत हल्के हो गए।[7] उदारवादी लार्ड रिपन ने इस अधिनियम को वापस ले लिया।

कर्जन की नीतियों तथा बंगाल विभाजन से भारतीय जनता में असन्तोष फैल गया। इन परिस्थितियों में कांग्रेस में उग्रवादी प्रभावशाली हो गए। साथ ही आतंकवादी गतिविधियों में भी बढ़ोतरी होने लगी। इस अवसर पर भारतीय समाचार–पत्रों ने कर्जन के कार्यो की तीव्र आलोचना करनी आरम्भ कर दी। अतः समाचार–पत्रों को नियन्त्रित करने हेतु 1908 ई. में समाचार पत्र अधिनियम, 1908 लाया गया। इसके अनुसार लोगों को हिंसक घटनाओं के लिए प्रेरित करने वाली खबर छापने वाले पत्र की मुद्रण सामग्री को जब्त किया जा सकता था। इसके विरूद्ध पत्र के मालिक को 15 दिन के अन्दर अपील करने का अधिकार था। स्थानीय सरकारें भी समाचार–पत्रों के प्रकाशन को रोक सकती थी। इस कानून द्वारा सरकार ने सात समाचार पत्रों की सम्पत्ति को जब्त किया और नौ के प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगाया।[8]

1910 ई. में भारतीय समाचार पत्र अधिनियम द्वारा स्थानीय सरकार को प्रकाशक से 500 से 2000 रूपये तक पंजीकरण जमानत के रूप में लेने तथा पंजीकरण रद्द करके राशि जब्त करने के अधिकार दिए गए। प्रभावित प्रकाशक दो माह के भीतर उच्च न्यायलाय की विशेष न्यायाधिकरण पीठ के सम्मुख अपील कर सकता था। प्रकाशक को समाचार–पत्र की दो प्रतियाँ निःशुल्क जमा करानी थी। इसके द्वारा विदेशों से मँगवाई गई पुस्तकों तथा समाचार–पत्रों को भी प्रतिबन्धित किया गया। इस कानून द्वारा सरकार ने 286 समाचार–पत्रों को चेतावनी दी, 705 से सुरक्षा–धन की मांग की तथा कई की धनराशी को जब्त किया।[9] 1908 ई. व 1910 ई. के प्रेस सम्बन्धि उपरोक्त कानून 1921 ई. में तेज बहादुर सप्रु समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दिए गए।

1920 व 1930 के दसक में वामपथियों ने भी अनेक समाचार–पत्र निकाले। इनमें 'कांग्रेस सोशलिस्ट', 'नेशनल फ्रंट', 'पीपुल्स वार', 'नवजीवन', 'स्वराज्य' आदि

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

प्रमुख थे। इसी प्रकार मजदूर व किसान आन्दोलन से जुड़े नेताओं ने 'मेहनतकश', 'क्रान्ति', 'लांगल', 'लेबर किसान गजट' आदि पत्र निकाले।

महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन के जोर पकड़ने व सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ होने पर सरकार ने भारतीय समाचार पत्रों पर पुनः अंकुश लगाने हेतु 1930 ई. में एक अध्यादेश जारी किया तथा 1931 में भारतीय समाचार–पत्र (संकटकालीन शक्तियाँ) अधिनियम पारित किया। 1910 ई. के अधिनियम के प्रावधान फिर से लागू कर दिए गए। इस अधिनियम की धारा 4(1) के अनुसार सरकार को शब्द, संकेत अथवा आकृति द्वारा किसी हत्या के अथवा अन्य किसी अनुसन्धेय अपराध को करने की प्रेरणा देने पर अथवा ऐसे अपराध की प्रशंसा अथवा अनुमोदन करने पर, कड़ा दण्ड देने की अनुमति थी।[10] 1932 ई. के कानून द्वारा इस एक्ट को और मजबूत बना दिया गया व सरकार की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। दूसरे विश्वयुद्ध के अवसर पर लाए गए भारत सुरक्षा अधिनियम द्वारा सरकार ने अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हुए भारतीय प्रेस की आजादी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एक समय तो राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में समाचार प्रकाशित करना भी अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार द्वारा प्राप्त की गई ये शक्तियां 1945 ई. में समाप्त कर दी गई।[11] 1947 ई. में समाचार–पत्र जाँच समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय प्रेस को स्वतन्त्र कर दिया गया।

सारांशः अंततः अनेकों विपरीत परिस्थितियों व संकटों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए भारतीय प्रेस आधुनिक रूप में आज हमारे सामने हैं। इसकी सफलता के पीछे अनेक समर्पित पत्रकारों की कड़ी मेहनत दिखाई देती है। भारतीय समाचार पत्रों ने भारतीय लोगों को विभिन्न क्षेत्रों के आधुनिक ज्ञान का परिचय करवाया तथा राष्ट्रीयता का प्रसार करके लोगों को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया।

सन्दर्भ सूची :

1. एल.पी.शर्मा., आधुनिक भारत, पृ.–371
2. आर.एल.शुक्ल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ–379

ISSN- 2454-2695
Volume 02 Issue 08
August 2016

3. बी.एल.ग्रोवर, ए.मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ–266
4. बी.एल.ग्रोवर, ए.मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ–266
5. एल.पी.शर्मा., आधुनिक भारत, पृ.–372
6. एल.पी.शर्मा., आधुनिक भारत, पृ.–373
7. बी.एल.ग्रोवर, ए.मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ–267
8. एल.पी.शर्मा., आधुनिक भारत, पृ.–373
9. एल.पी.शर्मा, आधुनिक भारत, पृष्ठ – 373
10. बी.एल.ग्रोवर, ए.मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ–268
11. बी.एल.ग्रोवर, ए.मेहता, यशपाल, आधुनिक भारत का इतिहास, पृष्ठ–268